

**कला, संस्कृति एवं युवा विभाग  
बिहार संग्रहालय, बेली रोड, पटना।**

**कोटेशन आमंत्रण सूचना**

कला संस्कृति एवं युवा विभाग बिहार के अन्तर्गत निबंधित बिहार संग्रहालय, बेली रोड, पटना के प्रवेश टिकट एवं पार्किंग टिकट के मुद्रण एवं आपूर्ति करने हेतु निम्नलिखित विशिष्टताओं, शर्तों एवं उपबंधों के अधीन अनुभवी एवं योग्य मुद्रकों/आपूर्तिकर्ताओं से 20.07.2018 को अपराह्न 3.00 बजे तक अधोहस्ताक्षरी के पदनाम से कोटेशन सीलबंद लिफाफों में आमंत्रित की जाती हैं। कोटेशन उसी दिन अपराह्न 3.30 बजे स्थानीय क्रय समिति के समक्ष खोली जायेगी, जिसमें कोटेशनदाता अगर चाहे तो उपस्थित रह सकते हैं।

**क) प्रवेश टिकट – 500000 Piece (3 Categories) – Paper – Art Paper 150gsm, Ticket Size- 8.25x2.75, Multi Color Print in Front Side and Single-Color Print in Back Side + Fabrication with machine numbering and book 50 leaf.**

**ख) पार्किंग टिकट – 50000 Piece (2 Categories) – Paper – Orient Paper 65-70gsm, Ticket Size- 7.25x2.60, Multi Color Print in front side + Fabrication with hand numbering and book 100 leaf**

**शर्त एवं उपबंध:-**

- 1- कोटेशनदाता का प्रेस वैट/वाणिज्य कर विभाग एवं एस.एस.आई. से मुद्रक के रूप में निबंधित होना चाहिए।
- 2- कोटेशनदाता का वार्षिक टर्न ओवर विगत तीन वर्षों का औसत कम से कम ₹ 20.00 (बीस लाख) होना चाहिए।
- 3- प्रकाशन सामग्रियों की संख्या में कमी/वृद्धि की जा सकती है।
- 4- तीन वर्षों का आयकर प्रमात्र पत्र संलग्न करना होगा।

**तकनीकी कोटेशन के साथ निम्नलिखित कागजात जमा करना होगा।**

- कोटेशन के साथ EMD के रूप में ₹ 10,000/- रुपये का डिमाण्ड ड्राफ्ट देना होगा, जो बिहार संग्रहालय समिति के नाम से देय एवं पटना में भुगतान हो।
- पिछले तीन वर्षों का अंकेक्षण प्रतिवेदन, आयकर रिटर्न की छायाप्रति एवं पैन कार्ड की छायाप्रति।
- वैट वाणिज्य कर विभाग एवं एस.एस.आई. के द्वारा मुद्रक के रूप में निबंधित होने का प्रमाण पत्र।
- कोटेशनदाता का प्रेस किसी भी सरकारी/अर्द्धसरकारी या गैर सरकारी संस्थान के द्वारा काली सूची में नहीं डाला गया हो। तदसंबंधित शपथ पत्र संलग्न करना होगा।
- जमा किए गये सभी कागजात स्व-अभिप्रमाणित होना चाहिए।
- तकनीकी कोटेशन के साथ जमा किए गए कागजातों-प्रमाणों के भौतिक-स्थल सत्यापन करने के लिए बिहार संग्रहालय स्वतंत्र होगा।
- मुद्रित होनेवाले टिकटों का पूर्ण रूप से कान्सेप्ट डिजाइनिंग, फोटो संपादन, लेआउट, रंगिन प्रूफिंग (कवर एवं टेक्स्ट भाग) का अलग-अलग स्तर पर कोटेशनदाता को करना है।
- मुद्रित होनेवाले टिकट पूर्ण रूप से डिजाइनिंग, प्रूफ शोधन करते हुए टिकट का अनुमोदन कराते हुए छपाई एवं बँधवाई पूर्ण करते हुए बिहार संग्रहालय के निदेशानुसार संबंधित को उपलब्ध करा देना होगा।
- मुद्रित की जाने वाली सामग्री यथा प्रवेश टिकट एवं पार्किंग टिकट का नमूना बिहार संग्रहालय से अपने लागत पर ससमय प्राप्त कर लेना होगा।
- उपर्युक्त सभी शर्तों का उपबंधों का पालन किया जाना अनिवार्य होगा। अपूर्ण अस्पष्ट एवं विलम्ब से प्राप्त कोटेशन पर विचार नहीं किया जाएगा।
- दोषपूर्ण छपाई/बाइण्डिंग अथवा निर्धारित मापदण्ड के अनुरूप नहीं पाये जाने, मुद्रित सामग्री ससमय आपूर्ति नहीं करने की स्थिति में भुगतान राशि से बिना बताये कटौती की जाएगी। इस संबंध में बिहार संग्रहालय का निर्णय अंतिम एवं मान्य होगा।
- सभी अथवा किसी कोटेशन को बिना कारण बताये पूर्णतः या अंशतः अस्वीकृत/रद्द करने का सर्वाधिकार निदेशक, बिहार संग्रहालय को सुरक्षित रहेगा।
- सभी कोटेशन निदेशक, बिहार संग्रहालय, बेली रोड, पटना – 800001 को निर्धारित तिथि और समय पर पहुँच जानी चाहिए।

निदेशक, बिहार संग्रहालय।

पटना, दिनांक. 06.7/2018

ज्ञापांक- बि० सं०/टिकट/89/2017/.....458

प्रतिलिपी – निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग बिहार, पटना को समाचार पत्रों में प्रकाशित करने हेतु प्रेषित।

निदेशक, बिहार संग्रहालय।